

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर बड़ीसादड़ी
प्रकरण सं. 32/2017 वादपत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट. 1955

1. रायसिंह उर्फ राया पिता नवला मीणा नि. नयाखेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
2. भगवानी बाई पिता नवला मीणा नि. नयाखेड़ा

वादीगण

बनाम

1. मांगु पिता नवला मीणा नि. नयाखेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
2. देवा पिता नवला मीणा नि. नयाखेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
3. रामदेव पिता नवला मीणा नि. नयाखेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
4. नाथीबाई बेवा नवला मीणा नि. नयाखेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
5. देवा पिता धन्ना मीणा नि. नयाखेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
6. मोडी बाई पत्नी धन्ना मीणा नि. नयाखेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
7. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा बोहेड़ा
8. तहसीलदार बड़ीसादड़ी

— प्रतिवादीगण

यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि —
मौजा नयाखेड़ा पटवार हल्का केवलपुरा की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

- 1— रायसिंह उर्फ राया 1/6, रामदेव 1/6 मांगू, 1/6, देवा 1/6 भगवानीबाई (मृत्यु) 1/6 पिता नवला, श्रीमती नाथी पत्नी नवला (मृत्यु) 1/6 मीणा सा. देह खातेदार

आ. नं.	रकबा
625	0.270
803/1	0.060
802/1	0.160
830/1	0.030
827/1	0.405
813/1	0.250
975	0.160
912	0.610
कुल 8	1.945

- 2— देवा पिता धन्ना 1/2 मोडीबाई पत्नी धन्ना 1/2 (दोनों मृत्यु) मीणा सा. देह

आ. नं.	रकबा
641	0.250
803/2	0.060
802/2	0.510
830/2	0.070
827/2	0.365
812	0.010
813/2	0.240
910	0.440
कुल 8	1.945

हैक्टेयर



PTO

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्चे... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दरा से ब्याज सहीत... को दी जावे। यह आज दिनांक 28.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।



प्रवीण कुमार मीणा (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

न्यायालय सहायक कलेक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2025/184

दिनांक : 7/11/2025

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।



सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी



निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 32/2017

वादपत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट. 1955

1. रायसिंह उर्फ राया पिता नवला मीणा नि. नयाखेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
2. भगवानी बाई पिता नवला मीणा नि. नयाखेड़ा

—वादीगण

बनाम

1. मांगु पिता नवला मीणा नि. नयाखेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
2. देवा पिता नवला मीणा नि. नयाखेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
3. रामदेव पिता नवला मीणा नि. नयाखेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
4. नाथीबाई बेवा नवला मीणा नि. नयाखेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
5. देवा पिता धन्ना मीणा नि. नयाखेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
6. मोडी बाई पत्नी धन्ना मीणा नि. नयाखेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
7. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा बोहेड़ा
8. तहसीलदार बड़ीसादड़ी

— प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त हो चुका है। माफिक फर्द बटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि —
मौजा नयाखेड़ा पटवार हल्का केवलपुरा की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

- 1— रायसिंह उर्फ राया 1/6, रामदेव 1/6 मांगू, 1/6, देवा 1/6 भगवानीबाई (मृत्यु) 1/6 पिता नवला, श्रीमती नाथी पत्नी नवला (मृत्यु) 1/6 मीणा सा. देह खातेदार

आ. नं.	रकबा
625	0.270
803/1	0.060
802/1	0.160
830/1	0.030
827/1	0.405
813/1	0.250
975	0.160
912	0.610
कुल 8	1.945

- 2— देवा पिता धन्ना 1/2 मोडीबाई पत्नी धन्ना 1/2 (दोनों मृत्यु) मीणा सा. देह

आ. नं.	रकबा
641	0.250
803/2	0.060
802/2	0.510
830/2	0.070
827/2	0.365
812	0.010
813/2	0.240
910	0.440
कुल 8	1.945

हैक्टेयर




PTO

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

मोहर




प्रवीण कुमार मीणा (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर
बडीसादडी

